टीपरी

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण

1. सकाराम पुत्र तोगाजी
2. लक्ष्मणराय पुत्र तोगाजी जाति गण मेघवाल

निवासीगण टीपरी तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)

तहसीलदार, बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध सं0 2022/183

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151, 152 सी.पी.सी.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
25.05.2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2010 शिविर कोटबालियान में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर रेकर्ड में दर्ज प्रार्थीगण के अशुद्ध नाम सखाराम के स्थान पर सकाराम एवं लच्छाराम पुत्र तोगा के स्थान पर लक्ष्मणराय पुत्र तोगा दर्ज किये जाने के आदेश केम्प में पारित किये गये। प्रार्थी का कहना हैं कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सभी खसरो में नाम संशोधन नहीं हुआ, प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 323/2 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.0600 हैक्टर के संबध में आदेश नहीं होने से इन भूमियों में प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम यथावत दर्ज है, जिसको भी दुरस्ती के जरिये सही नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में दिनांक 17.01.2011 को राजस्व केम्प कोटबालियान में पारित आदेश की फोटो प्रति, तथा वर्णित खसरा नंबर 323/2 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.0600 हैक्टर की वर्तमान जमाबंदियो की प्रमाणित प्रतियॉ प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न आदेश दिनांक 17.01.2011 को पारित आदेश के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा सह खातेदारी में ग्राम टीपरी में धारित की जा रही भूमियों में त्रुटिपुर्ण नाम संशोधन के आदेश पारित किये गये, लेकिन प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नंबर 323/2 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 0. 86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.0600 हैक्टर के संबध में आदेश नहीं होने से इन भूमियों में प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम यथावत दर्ज है, जिसको भी दुरस्त किये जाने की मांग की जा रही हैं। प्रार्थी पक्ष की उक्त मांग न्यायोचित प्रतीत है। **दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार 152. निर्णयो, डिक्रियो या आदेशों का संशोधन–** निर्णयो, डिक्रियो या आदेशो में की लेखन या गणित संबंधी भूले या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उसमें हुई गलतियां न्यायालय द्वारा स्वप्रेरण से या पक्षकारों मेंसे किसी के आवेदन पर किसी भी समय शुद्ध की जा सकेगी। **इसी प्रकार धारा 151 के अनुसार 151. न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृति–** इस संहिता की किसी भी बात के बार में यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेशों के देने की न्यायालय की अर्न्तनिहित शक्ति को परिसीमित या अन्यथा प्रभावित करती है, जो न्याय के उद्देश्य के लिए या न्यायालय की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी के उक्त प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ... इस हुक्म की ...
	प्रार्थीगण के आवेदन पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रशासन गांवों के अभियान, 2010 केम्प में दिनांक 17.01.2011 को पारित आदेश से प्रार्थीगण के द्वारा धारित की जा रही सह खातेदारी भमियॉ मौजा टीपरी के खसरा नंबर 289, 291/1,293/1, 299, 302, 303, 305, 307, 309, 314, 310, 315, 319/495, 321, 322, 470 कुल खसरा–16 कुल रकबा 6.90 हैक्टर तथा खसरा नंबर 2 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नंबर 295, 296, 297 कुल खसरा–3 रकबा 0.69 हैक्टर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नंबर 243 व 250 रकबा 0.73 हैक्टर में दर्ज प्रार्थीगण के त्रुटिपुर्ण नाम को दुरस्ती के माध्यम से शुद्ध नाम सकाराम पुत्र तोगाजी व लक्ष्मणराय पुत्र तोगाजी दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। परन्तु वर्तमान प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित ग्राम टीपरी स्थित भूमियॉ खसरा नंबर खसरा नंबर 323/2 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.0600 हैक्टर के संबध में आदेश नहीं होने से इन भूमियों में प्रार्थीगण का त्रुटिपुर्ण नाम यथावत दर्ज है, जो इस तथ्य की पुष्टि करता हैं कि राजस्व केम्प में आदेश पारित करते समय लिपिकीय भूल से उक्त खसरा नंबर का अंकन आदेश में नहीं हो सका। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। धारा 151, 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार आवेदन पत्र में उल्लेखित ग्राम टीपरी स्थित भूमियॉ खसरा नंबर खसरा नंबर 323/2 रकबा 2.24 हैक्टर, खसरा नंबर 343 रकबा 1.54 हैक्टर, खसरा नंबर 288 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.86 हैक्टर एवं खसरा नंबर 244 रकबा 0.0600 हैक्टर के वर्तमान अधिकार अभिलेखों में दर्ज प्रार्थीगण के दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम सकाराम पुत्र तोगाजी व लच्छाराम पुत्र तोगाजी की सही नाम सकाराम पुत्र तोगाजी व लक्ष्मणराय पुत्र तोगाजी दुरस्ती के जरिये हिस्सा अनुसार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, भीटवाडा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो। भू0 अभिलेख अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner